

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 486/2013
संस्थित दिनांक- 03.09.2013

सुरेश पिता सीताराम पाटीदार,
आयु-53 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी-बड़दा, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी**परिवादी**

वि रू द्ध

अनिल पिता हरिजी पाटीदार (आवलिया),
आयु-48 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार,
प्रोप्रायटर-पी.एम.ऑटो इंटरनेशनल,
बड़वानी रोड़, अंजड़, जिला बड़वानी**अभियुक्त**

परिवादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता	- श्री विशाल कर्मा
अभियुक्त द्वारा विद्वान अधिवक्ता	- श्री संजय गुप्ता

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 23-07-2016 को घोषित)

- 1- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 17.06.2013 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध परिवादी को दायित्व के अधीन दिनांक 15.03.2013 को स्थान अंजड़ में आरोपी के आईसीआईसीआई बैंक शाखा बड़वानी स्थित खाता क्रमांक 049005000231 का चैक क्रमांक 022823 राशि रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) प्रदान करने जो आरोपी के खाते पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित होने के आधार पर दिए गए सूचना पत्र के अनुसार उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध विचारणीय है।
- 2- प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आरोपी ने दीवालिया घोषित कराने के लिए प्रांतीय दीवाला अधिनियम 1920 की धारा 7 के अंतर्गत माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बड़वानी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।
- 3- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी व आरोपी के आपस में पारिवारिक संबंध होकर आरोपी नगर अंजड़ में पी.एम.टी.ऑटो इंटरनेशनल का प्रोप्रायटर होकर फर्म का लेनदेन एवं खाते का संचालन भी वही करता है तथा आरोपी को अपने व्यापारिक एवं पारिवारिक कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने अंजड़ में परिवादी से नकद धनराशि रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) उधार स्वरूप प्राप्त किए थे और उक्त राशि की अदायगी हेतु आरोपी ने अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा बड़वानी के खाता क्रमांक 049005000231

का चैक क्रमांक 022823 दिनांक 15.03.2013 का राशि रुपये 3,00,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया, जो चैक परिवादी ने अपने खाते में बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो परिवादी को दिनांक 16.04.2013 बैंक द्वारा बिना भुगतान के इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि आरोपी के खाते में भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से दिनांक 04.05.2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की। आरोपी ने सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसने जानबूझकर सूचना पत्र लेने से इन्कार कर दिया और उक्त सूचना पत्र वापस दिनांक 07.05.2013 को परिवादी को प्राप्त हुआ। इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4— उक्त अनुसार आरोपी पर मेरे पूर्व विद्वान पीठासी अधिकारी महोदय द्वारा परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अभियोग अधिरोपित कर अपराध विवरण तैयार कर उसे पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्ष्य देना प्रकट कर किसी भी साक्षी के कथन बचाव में नहीं कराए गए हैं।

5— विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष में दिनांक 15.03.2013 को शाखा बड़वानी के अपने आईसीआईसीआई बैंक के खाता क्रमांक 049005000231 का चैक क्रमांक 022823 रुपये 3,00,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया ?
ब	क्या आरोपी द्वारा दिया गया उक्त चैक उसके खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण अनादरित हुआ ?
स	क्या आरोपी ने उक्त चैक की धनराशि का भुगतान परिवादी द्वारा बार-बार मांग किए जाने और सूचना पत्र दिए जाने के बाद भी नहीं किया ?
द	यदि हां, तो निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 'अ' लगायत 'द' पर सकारण निष्कर्ष —

6— चूंकि सभी विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने और सुविधा की दृष्टि से उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी ने स्वयं का परीक्षण न्यायालय में कराया है। परिवादी सुरेश (परि.सा.—1) ने परिवाद के तथ्यों का

समर्थन करते हुए कथन किया है कि उसके तथा आरोपी के आपस में पारिवारिक संबंध होकर आरोपी नगर अंजड़ में पी.एम.टी.ऑटो इंटरनेशनल का प्रोप्रायटर होकर फर्म का लेनदेन एवं खाते का संचालन भी वही करता है तथा आरोपी को अपने व्यापारिक एवं पारिवारिक कार्यों हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने अंजड़ में परिवारी से नकद धनराशि रुपये 3,00,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) उधार स्वरूप प्राप्त किए थे और उक्त राशि की अदायगी हेतु आरोपी ने अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा बड़वानी के खाता क्रमांक 049005000231 का चैक क्रमांक 022823 दिनांक 15.03.2013 का राशि रुपये 3,00,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से उसके पक्ष में जारी किया, जो चैक उसने अपने खाते में बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो उसे दिनांक 16.04.2013 बैंक द्वारा बिना भुगतान के इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि आरोपी के खाते में भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है, तब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से दिनांक 04.05.2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की। आरोपी ने सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसने जानबूझकर सूचना पत्र लेने से इन्कार कर दिया और उक्त सूचना पत्र वापस दिनांक 07.05.2013 को उसे प्राप्त हुआ। इसलिए उसने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

8— परिवारी ने अपने समर्थन में आरोपी द्वारा उसके पक्ष में जारी चैक प्रपी-1 को प्रमाणित करते हुए, आरोपी की शाखा बड़वानी स्थित आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिया गया अनादरण मेमो प्रपी-2, परिवारी की अंजड़ शाखा स्थित बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उसे दी गई सूचना दिया गया पत्र, प्रपी-3 तथा परिवारी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा आरोपी को दिये गये सूचना पत्र की प्रतिलिपि, प्रपी-4, उसकी पोस्टल रसीद, प्रपी-5 और आरोपी को प्रेषित पंजीकृत डाक का वापसी लिफाफा, प्रपी-6 को भी प्रदर्शित कर प्रमाणित कराया है।

9— आरोपी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में परिवारी ने यह स्वीकार किया है कि उसका बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में अकेले के नाम से कोई खाता नहीं है तथा उसके भाई रमेश व दिनेश का उसके साथ व्यवहार चलता है। वह कक्षा 8वीं तक पढ़ा है। उनके नाम से संयुक्त कृषि भूमि 13 एकड़ है तथा उसके नाम से वर्तमान में कोई कृषि भूमि नहीं है। उसने अपने हिस्से की 4 एकड़ भूमि पत्नी के नाम से दर्ज करवायी है। परिवारी से उसकी कृषि भूमि के संबंध में बोयी हुई फसल और मजदूरी के संबंध में अनावश्यक प्रश्न पूछे गए हैं, जो इस प्रकरण में सुसंगत नहीं हैं।

10— साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया है कि सभी भाइयों की पासबुक अलग-2 है और संयुक्त खाते में से एक के हस्ताक्षर से ही पैसों का आहरण हो जाता है। परिवारी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके भाई रमेश और दिनेश ने भी आरोपी के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। लेकिन परिवारी को आरोपी की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि आरोपी ने उससे उक्त चैक की धनराशि उधार स्वरूप प्राप्त नहीं की थी अथवा

आरोपी ने अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में प्रपी-1 का प्रश्नाधीन चैक जारी नहीं किया था। ऐसी स्थिति में खण्डन के अभाव में परिवादी की उक्त साक्ष्य स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आती है।

11— परिवादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें प्रपी-1 का प्रश्नाधीन चैक है, जिस पर आरोपी ने अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार नहीं किया है और उक्त प्रपी-1 का चैक आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के आधार पर ही अनादरित हुआ है। परिवादी के सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे कि परिवादी की साक्ष्य का खण्डन हो अथवा यह प्रमाणित होता हो कि परिवादी के पक्ष में आरोपी ने प्रपी-1 का प्रश्नाधीन चैक अपने हस्ताक्षर से जारी नहीं किया था।

12— इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी को रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का प्रश्नाधीन प्रपी-1 का चैक परिवादी के पक्ष में प्रदान किया था, जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण अनादरित हुआ और इसकी सूचना पंजीकृत डाक से आरोपी को भेजे जाने के बाद भी आरोपी ने चैक की धनराशि का भुगतान परिवादी को नियत समयावधि में नहीं किया, जो कि परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध है, जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

13— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी अंजड़, जिला बड़वानी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

14— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

15— सजा के प्रश्न पर विचार किए जाने पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी ने स्वयं को दीवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोपी के पास वर्तमान में इतने साधन नहीं हैं कि वह उक्त चैक की धनराशि परिवादी को अदा कर सके। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। उनका यह भी निवेदन है कि आरोपी को व्यापार में घाटा होने के कारण उक्त अपराध घटित हुआ है तथा आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है।

16— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपी द्वारा मात्र स्वयं को दीवालिया घोषित किए जाने का आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के आधार पर आरोपी सहानुभूति का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

17— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी अंजड़, जिला बड़वानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए छः माह के सश्रम कारावास से दण्डित करता है तथा प्रकरण की परिस्थितियों में दंप्रसं. की धारा 357 (3) एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 (1) के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी परिवादी को प्रतिकर स्वरूप रुपये 3,50,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) अदा करेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

18— आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19— द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20— प्रकरण में कोई भी जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही /—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.